न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 58 / 2020

यूको बैंक,
शाखाः–श्रीनगर रोड, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

(1) मैसर्स सीताराम सत्यनारायण खण्डेलवाल जरिये
प्रोपराईटर श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल
पता कार्यालयः– एएमसी नं0 837 / 32 का भाग, जादूघर,
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के सामने, श्रीनगर रोड, अजमेर–305001
रिहायशी पता (।।) 109 / 34, विनय नगर, पाल बीचला, अजमेर–305001
(2) श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल
(3) श्रीमती कमला देवी खण्डेलवाल पत्नी श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल
पताः– 109 / 34, विनय नगर, पाल बीचला, अजमेर–305001

.....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री संदीप गोयल अधिकृत प्रतिनिधि

दिनांक 25.02.2020

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स सीताराम सत्यनारायण खण्डेलवाल एवं श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल, निवासीः– एएमसी नं0 837 / 32 का भाग, जादूघर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के सामने, श्रीनगर रोड, अजमेर–305001 को दिनांक 26.06.2015 रूपये 16,25,000 / –(अक्षरे सोलह लाख पच्चीस हजार रूपये) एवं 30.01.2019 को रू 49,00,000 / – (अक्षरे उनचास लाख रूपये) कुल ऋण 65,25,000 / – (अक्षरे पैंसठ लाख पच्चीस हजार रूपये) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण / ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के सामने, श्रीनगर रोड, अजमेर, स्थित व्यवसायिक अचल सम्पति दुकान एएमसी नं0 837 / 14 (नया), 837 / 32 (पुराना), क्षैत्रफल 317 वर्गफीट, जो श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएः– पूर्व :– सकडा रोड, पश्चिमः– मोहरी लाल गोवर्धन प्रसाद की दुकान, उत्तरः– श्रीनगर रोड, दक्षिणः– सीताराम खण्डेलवाल का गोदाम, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 29.11.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण / ऋणी को दिनांक 18.12.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 54,57,335.53 / –(अक्षरे चौप्पन लाख सत्तावन हजार तीन सौ पैंतीस एवं पैसे तिरेपन मात्र) व 18,79,418 / –(अक्षरे अठारह लाख उन्यासी हजार चार सौ अठारह रूपये मात्र) कुल ऋण 73,36,753.53 / –(अक्षरे तिहत्तर लाख छत्तीस हजार सात सौ तिरेपन एवं पैसे तिरेपन मात्र) का जारी किया गया। नोटिस

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक व्यवसायिक अचल सम्पति, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के सामने, श्रीनगर रोड, अजमेर, स्थित दुकान एएमसी नं0 837/14 (नया), 837/32 (पुराना), क्षैत्रफल 317 वर्गफीट, जो श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं:– पूर्व :– सकडा रोड, पश्चिमः– मोहरी लाल गोवर्धन प्रसाद की दुकान, उत्तरः– श्रीनगर रोड, दक्षिणः– सीताराम खण्डेलवाल का गोदाम, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 25.02.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner